बउनवान प्रकाशचन्द बनाम रामकिशन
अपील सं0 73/2015

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–73/2015 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. प्रकाशचन्द सैनी पुत्र स्व0 श्री रामकिशन जाति माली निवासी जालूकी रोड़, अनाज मण्डी के पीछे वार्ड सं0 9, कस्बा लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

..... प्रतिवादी/अपीलांट

बनाम

1. रामकिशन पुत्र श्री घीसाराम जाति माली निवासी लक्ष्मणगढ़ – मृतक
2. रामकली पत्नि स्व0 श्री रामकिशन जाति माली,
3. देवदत्त पुत्र स्व0 श्री रामकिशन जाति माली,
4. लालाराम पुत्र स्व0 श्री रामकिशन जाति माली,
5. श्रीमती शीलादेवी पुत्री स्व0 श्री रामकिशन जाति माली निवासीयान जालूकी रोड़, अनाज मण्डी के पीछे, वार्ड सं0 9, कस्बा लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

..... असल रेस्पो0

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

.....तर0 रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री प्रदीप गुप्ता गुप्ता अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री अमरचन्द चौधरी अभिभाषक रेस्पो0 ।
3. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–11.06.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि ख0 नं0 हाल 685 रकबा 1.6, 422 रकबा 3.1, 668 रकबा 18 बिस्वा, 669 रकबा 18 बिस्वा, 671 रकबा 1.7 बीघा, 674 रकबा 19 बिस्वा, 673 रकबा 2 बिस्वा, 681 रकबा 12 बिस्वा व ख0 नं0 672 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम लक्ष्मणगढ़ में है जिसमें 685 में 5 बिस्वा, 422 में 1/3 भाग, 672

में से 2/3 भाग एवं 668, 669, 671, 673, 674, 681 सालिम मुताबिक रेकार्ड वादी के नाम है । उक्त आराजी वादी की स्वयं की पैदाकर्ता आराजी है जिसके अलावा वादी के पास कोई पेट पालन का जरिया नहीं है । प्रतिवादीगण वादी के पुत्र हैं जो लड़ाकू व बदमाश प्रकृति के हैं जो वादी व उसकी पत्नि के साथ मारपीट करते हैं एवं उक्त आराजी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं जबकि प्रतिवादीगण को वादी ने रिहायश हेतु मकान दे रखा है । दि0 1.7.2009 को वादी ने विवादित आराजी में बाजरा, ज्वार की फसल बोई तब भी प्रतिवादीगण ने झगड़ा कर उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया । इसलिए दावा वादी स्वीकार कर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का निवेदन किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय नें दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जिसमें से प्रतिवादी सं0 2 व 3 की ओर से इकबाल जवाब पेश किया गया एवं प्रतिवादी नं0 1 ने जवाब दावा पेश किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 18.05.2015 को वादीगण का वाद बरूऐं राजीनामा स्वीकार कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 18.05.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण कीं बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि तहत न्यायालय द्धारा दि0 18.05.2015 के बारे में बताया और कहा कि तहत न्यायालय के द्धारा जो दिया गया आदेश है, वह विधिसम्मत एवं कानून के अनुसार नहीं है । वादीगण के द्धारा जो दावा पेश किया गया वह धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया गया था जो दावा बाबत हुक्म ईम्तनाई दवामी से संबंधित था । तहत न्यायालय में जवाब पेश किय गया तथा वादी व प्रतिवादी ने आपस में राजीनामा करके और धारा 188 आर.टी.एक्ट की भावना के अनुसार अपने आपको पाबन्द करवाया कि जो पक्षकार जहां पर काबिज है उसका उपभोग, उपयोग करेंगे । तहत न्यायालय के द्धारा जो राजीनामा डिक्री किया गया है, वह गलत है क्योंकि धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत घोषणा का राजीनामा पेश नहीं किया जा सकता है । अतः निर्णय करने से पूर्व तहत न्यायालय को राजीनामा के तथ्यों का अवलोकन करना चाहिए और उसी के अनुसार निर्णय पारित करना चाहिए । धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत जो निर्णय पारित किया गया है जिसमें वादी का दावा डिक्री करके और हिस्से अनुसार आराजी की घोषणा कर दी गई है वह कानून सम्मत नहीं होने से काबिल खारिजी के है । अतः ऐसें विधि विरूद्ध कोई राजीनामा है तो उसके आधार पर किसी प्रकार की डिक्री पारित नहीं की जा सकती है । चाहे राजीनामा का प्रकरण ही क्यों न हो । तहत न्यायालय के द्धारा दो तनकी कायम की गई थी –

प्रथम– आया विवादित आराजी वादी की पैदाकर्ता आराजी है ।

द्धितीय – आया वादी विवादित आराज बाबत प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द करवाने का अधिकारी है ।

तहत न्यायालय के द्वारा उक्त तनकीयात के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया गया बल्कि कानून विरूद्ध किया गया, राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किया है जो गलत है । तहत न्यायालय में जो दावा पेश किया गया उसके अन्य पक्षकारान जो असल प्रतिवादी है, इनको भी तलब नहीं किया गया । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें ।

जवाब में अभिभाषक असल रेस्पो0 का कथन है कि तहत न्यायालय में जो दावा पेश किया गया है, वह मुताबिक राजीनामा है । इस आधार पर अपील मैन्टेनेबिल नहीं है । साथ ही कहा कि यह अपील मियाद बाहर पेश की गई है । इस बिनाय पर भी अपील काबिले खरिजी के है ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.5.2015 का अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय में पेश रेकार्ड का अवलोकन किया गया और तहत न्यायालय में पेश राजीनामा जो रामकिशन व प्रकाश के मध्य किया गया का अवलोकन किया गया । वादी और प्रतिवादी सं0 1 ल0 3 आपस में पिता पुत्र हैं और आराजी बाबत वादी के द्वारा जो दावा पेश किया गया, उसमें केवल प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा ही जवाब पेश किया गया तथा अन्य पक्षकारों को जवाब का मौका नहीं दिया गया और न ही उनके द्वारा कोई राजीनामा किया गया है । वादी का यह वाद धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया गया है परन्तु राजीनामा के तथ्यों के अनुसार उभयपक्षों ने विवादित आराजी में आपसी सहमति से बंटवारा कर दिया और उसी के अनुसार दावा डिक्री करवा लिया । तहत न्यायालय के निर्णय के अवलोकन उपरान्त यह पाया जाता है कि जो निर्णय पारित किया गया है, वह टिनेन्सी एक्ट की धारा 188 आर.टी.एक्ट की धारा 88, 89 की रिलीफ जो वादी द्वारा नहीं चाही गयी है, वह धारा 188 आर.टी.एक्ट में नहीं दी जा सकती है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्ट्या विधि अनुसार नहीं होने के कारण काबिले खारिजी के है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2015 निरस्त की जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11.6.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर